न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरए
प्रकरण सख्या:—17/22 दायर दिनांक:— 29.04
जीसीएमएस नं. 2022/102

1. रामकुमार पुत्र श्री रामधन जाति मीना निवासी ग्राम नारौली तहसील भुसावर जिला भ राज0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर तहसील भुसावर भरतपुर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
उपस्थित —1.श्री छोटेलाल मीना अधिवक्ता प्रा
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार भुस

निर्णय दिनांक 18.10.2023

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.न. 90 0.7800, हेक्टर में 1/10 हिस्से का व आ.ख.न. 541 रकबा 0.4900, आ.ख.न. 563 रकबा आ.ख.न. 564 रकबा 0.2600, आ.ख.न. 571 रकबा 0.1000, आ.ख.न. 573 रकबा 0.3600, 645 रकबा 0.2500, आ.ख.न. 701 रकबा 0.0600, आ.ख.न. 837 रकबा 0.4500, आ.ख.न. 83 0.1100, किता 9 कुल रकबा 2.3600 हेक्टर में 1/10 हिस्से का एवं आ.ख.न. 734 रकबा हेक्टर में प्रार्थी 29/890 हिस्से का तथा आ.ख.न. 128 रकबा 0.9500, हेक्टर के 17/188 हि वाके ग्राम नारौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर में प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। और इसी प्रकार से मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी क आराजी पैत्रिक है, जो प्रार्थी को अपने पिता रामधन से बाई बर्थ विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती का नाम रामकुमार क स्थान पर गॉव में बोले जाने वाले प्यार के नाम रामप्रसाद दर्ज हो ग जो कि प्रार्थी के वास्तविक नाम से भिन्न है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकुमार है, रामप्रसाद।

प्रार्थी का नाम अपने अन्य समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कार्ड, बैंक पास बुक आदि में रामकुमार दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि रामप्रसाद पुत्र नाम का कोई भी व्यक्ति गॉव नारौली में नहीं है, और ना ही कभी रहा है। बल्कि प्रार्थी रामकु नाम को ही राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से रामप्रसाद दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। एवं कलमजन किए जाने योग्य है। प्रार्थी की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम रा दर्ज रहने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी के बावत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायताओं से वंचित हो रहा है। और ना ही प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिए जाने वा सुधार ऋणों को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी मानसिक व आर्थिक क्ष

उपखण्ड अ
भुसावर (भ

रही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में दर्ज अपने नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामकुमार दुरूस्त कर अंकित कराने के लिए कई बार अप्रार्थी के भुसावर स्थित कार्यालय में गया। लेकिन अप्रार्थी हमेशा टालमटोल करते हुए नाम को दुरूस्त नहीं किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजीयात में प्रार्थी के नाम रामप्रसाद को कलमजन किया जाकर रामकुमार दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की ताईद में तहसीलदार भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि आ0ख0न0 902, 541, 563, 564, 571, 573, 645, 701, 837, 838, 734, व 128 में रामप्रसाद पुत्र रामधन मुताबिक जमाबंदी दर्ज है जो विरासत से दर्ज हुआ है उक्त की मौके पर जांच करने पर बताया गया कि रामप्रसाद एवं रामकुमार दोनों एक ही व्यक्ति है जिसका सही नाम रामकुमार पुत्र रामधन है।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तु दस्तावेजी रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र रामधन है।

अतः तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट दिनांक 17.08.2023 एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.न. 902 रकबा 0.7800, हेक्टर .आ.ख.न. 541 रकबा 0.4900, आ.ख.न. 563 रकबा 0.2800, आ. ख.न. 564 रकबा 0.2600, आ.ख.न. 571 रकबा 0.1000, आ.ख.न. 573 रकबा 0.3600, आ.ख.न. 645 रकबा 0.2500, आ.ख.न. 701 रकबा 0.0600, आ.ख.न. 837 रकबा 0.4500, आ.ख.न. 838 रकबा 0. 1100, एवं आ.ख.न. 734 रकबा 0.7200, हेक्टर ,तथा आ.ख.न. 128 रकबा 0.9500, वाके ग्राम नारौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर की आराजीयात में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद के स्थान रामकुमार दुरूस्त राजस्व रिकार्ड किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)